भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1371**
(जिसका उत्तर सोमवार, 6 दिसंबर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)
**पी-नोट**

**1371: डॉ थोल तिरुमावलवन:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में पी-नोट के माध्यम से निवेश करने वाले व्यक्तियों का सरकार के पास उपलब्ध ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काला धन तथा धनशोधन को रोकने की सरकार की पहल पी-नोट निवेश द्वारा असफल हो जाएगी; और

(डी) यदि हां, तो पी-नोट में निवेश को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

**(क) और (ख):** पी-नोट्स/ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ओडीआई) के धारकों के साथ-साथ धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) नियम, 2005 के नियम 9 के अनुसार पहचाने गए ओडीआई के धारकों के फायदाग्राही स्वामियों का ओडीआई जारी करने वाले विदेश पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (एफपीआई) के द्वारा मासिक आधार पर विवरण सेबी को भेजा जाता है। इसके अलावा, ओडीआई जारी करने वाले एफपीआई को ओडीआई अभिदाताओं से संबंधित केवाईसी दस्तावेजों को हर समय अपने पास रखना होगा और मांगे जाने पर सेबी को उपलब्ध कराना होगा। ओडीआई अभिदाताओं के लिए लागू केवाईसी अपेक्षाएं नीचे दी गई हैं:

| | |
|---|---|
| ओडीआई अभिदाता | अपेक्षित दस्तावेज़ |
| | संवैधानिक दस्तावेज |
| | पते का साक्ष्य |
| | मंडल प्रस्ताव |
| ओडीआई अभिदाता के फायदाग्राही स्वामी (बीओ) | सूची |
| | पहचान का साक्ष्य |
| | पते का साक्ष्य |
| वरिष्ठ प्रबंधन (पूर्णकालिक निदेशक/भागीदार/न्यासी आदि) | सूची |

**(ग) और (घ):** पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सेबी ओडीआई/पीएन मार्ग के माध्यम से भारतीय पूंजी बाजार में एक्सपोजर लेने के लिए मानदंडों को लगातार कठोर कर रहा है। सेबी द्वारा किए गए उपायों में केवल श्रेणी-I एफपीआई को ओडीआई जारी करने की अनुमति देना और केवल श्रेणी-I एफपीआई के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र व्यक्तियों को अनुमति देना, ओडीआई जारी करने वाले एफपीआई द्वारा धारकों और ओडीआई धारकों के फायदाग्राही स्वामियों के विवरण की मासिक रिपोर्टिंग, माह के दौरान मध्यवर्ती अंतरण की मासिक रिपोर्टिंग , अर्ध-वार्षिक आधार पर ओडीआई स्थितियों की पुन: पुष्टि, 1000 अमरीकी डॉलर का नियामक शुल्क लगाना, सभी ओडीआई ग्राहकों के लिए अनिवार्य केवाईसी, ओडीआई जारी करने वाले एफपीआई द्वारा भारतीय वित्तीय आसूचना इकाई के साथ संदिग्ध लेनदेन दर्ज करना शामिल है ।

इसके अलावा, आयकर विभाग पी-नोट्स के माध्यम से अघोषित निवेश के माध्यम से कर चोरी सहित कर चोरी के विभिन्न तरीकों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित कदम उठाता है। प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत इस तरह के कदमों/कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, तलाशी और जब्ती कार्रवाई, सर्वेक्षण, सम्मन, आय का आकलन और पुनर्मूल्यांकन, दंड लगाना और आपराधिक अदालतों के समक्ष अभियोजन शिकायतें दर्ज करना, जहां भी लागू हो, शामिल हैं।

*****